संख्या-52 /2019/756/22-4-2019-48(30)/14

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक-,18 अक्टूबर 2019

विषयः-कारागार मुख्यालय, परिक्षेत्रीय कार्यालयों एवं कारागारों में ई-प्रिजन कार्ययोजना के संचालन हेतु मैनपावर तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर की व्यवस्था हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-25627/आधु-2/ई-प्रिजन/2019, दिनांक-20.08.2019 एवं कारागार मुख्यालय, परिक्षेत्रीय कार्यालयों एवं कारागारों में ई-प्रिजन कार्ययोजना के संचालन हेतु मैनपावर तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर की व्यवस्था हेतु शासनादेश संख्या-25/2019/284/22-4-19-48(30)/14, दिनांक 29 मार्च, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने कष्ट करें।

2- अतः सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय प्रश्नगत कार्य हेतु उक्त शासनादेश द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति को निरस्त करते हुए ईप्रिजन कार्ययोजना को और मजबूत करने के लिए प्रस्तावित मैनपावर की व्यवस्था यू0पी0 डेवलपमेन्ट सिस्टम कारपोरेशन लि0 (यूपी डेस्को) के माध्यम से कराये जाने एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर के क्रय की व्यवस्था जैम पोर्टल से किये जाने हेतु निम्न विवरणानुसार रू0 181.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 1,00,00,000/- (रूपया एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0	कार्य मद	अनुमोदित लागत
1	कार्य योजना के संचालन हेतु मैनपावर की व्यवस्था	98.88
2	कम्प्यूटर हार्डवेयर की व्यवस्था	82.12
	योग-	181.00

(1) उक्त धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत सुसंगत शासनादेश के अनुसार गर्वमेन्ट ई-मार्केटप्लेस **(GEM)/**ई-टेण्डरिंग के माध्यम से किया जायेगा ।

(2) धनराशि आहरित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त धनराशि पूर्व में स्वीकृत नहीं की गयी है । स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उक्त के सम्बन्ध में निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) क्रय किये जाने वाले उपकरणो की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में कार्यदायी संस्था एवं महानिरीक्षक कारागार पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे कि उनकी गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो ।

(4) उपकरणों के क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा, यदि कोई धनराशि बचती है तो अवशेष धनराशि के समक्ष कोई अन्य उपकरणों तथा मशीनों का क्रय नहीं किया जायेगा।

(5) स्वीकृत उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(7) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग उसी पर किया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा की जायेगी।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-17-ई प्रिजन कार्ययोजना-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर क्रय" मद से वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12/1532/दस/2019, दिनांक-14 अक्टूबर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-52/2019/756/22-4-2019, तद्दिनांकित -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेवलपमेन्ट सिस्टम कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकरी, जवाहर भवन लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय लखनऊ।
(7) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in